# वैश्विक आधुनिकरण में भारतीय आधुनिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति का राष्ट्र निर्माण में महत्व एवं योगदान

**डा0 पल्लवी सिंह**
**असिसटेंट प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान विभाग।**
**श्रीमती दिलवारी देवी किसान कन्या पी0जी0 कॉलेज**
**चिंगरावठी, बुलंदशहर।**

**सारांश-** प्रत्येक व्यक्ति जिस समाज में रहता है वह नैतिक नियमों, सामाजिक परम्पराओं और संस्कृति से जुड़ा रहता है। इन मूल्यों का पालन करना नैतिक कर्तव्य होता है। प्रत्येक मूल्य हमारे जीवन के हर क्षेत्र में संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं। आज विश्व बड़ी तेजी से बदल रहा है। ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटरीकरण और तकनीकी में नित नये प्रयोगों तथा नवोन्मेषी अनुसंधानों ने ज्ञान की दिशा बदल दी है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को आवश्यकता थी एक नयी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जिसमें भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों की जडें तो हो ही परन्तु साथ ही आधुनिक विश्व की दौड़ में दौड़ने के लिये उपयुक्त साधन भी हो। सरकारी प्रयासों द्वारा भारत में नई शिक्षा नीति 2020 का आरम्भ हुआ और इसे सम्पूर्ण भारत पाठ्यक्रमों में लागू कर विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस नीति के तहत बालक के सर्वांगिण विकास पर कार्य किया गया है। आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। विभिन्न अभियानों को जोड़ा गया है। प्रौद्योगिकी व शारीरिक शिक्षा पर बल दिया गया है। स्किल डवलपमेंट पर विषयों को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट है- एक नवीन राष्ट्रीय निर्माण, जो अन्त्रराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहरायेगा।

**मुख्य शब्दावली-** स्वतंत्र भारत, आधुनिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति, सरकारी शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय निर्माण, शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य, शिक्षा नीति 2020, भारतीय संविधान, भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय संस्कृति एवं परम्परा, वैश्विक आधुनिकरण, शिक्षा का स्वरूप, एनईपी-2020, शिक्षा एवं शिक्षकों की गुणवत्ता, विकसित भारत।

परिचय- भारत एक जनतांत्रिक राष्ट्र है, इस कारण स्वतंत्रता बन्धुत्व, समानता एवं न्याय के सिद्धान्त को सही मानते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिये संवैधनिक प्रावधान किये जिससे पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सकंे। परन्तु हमारे सामाजिक ढांचे में विषमता होने के कारण उन्हें व्यवहार में आयी कठिनाई के कारण पूरा नहीं किया जा सका और शिक्षा, रोजगार, उच्च पदों एवं विशेष कार्य क्षेत्रों मे सवर्णों का एकाधिकार हो गया था। सत्रहवीं-अठ्ठारवीं शताब्दी की राजनीतिक एवं उन्नीसवीं शताब्दी की वैज्ञनिक व औद्योगिक क्रान्तियों ने आर्थिक क्षेत्र में  बहुमुखी विकास की प्रक्रिया को जन्म देकर एक नवीन सामाजिक एवं राजनीति संरचना का सूत्रपात किया। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र भारतीय की नींव रखी गयी जिसमें मानवाधिकार अधिनियम व कानून पारित किये गये। नागरिकों के हित में सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली पर पुरजोर कार्य किये जाने लगे। 1950 में शिक्षा पर बने संवैधनिक नियमों व अधिकारों में निरंतर बदलाव हो रहे हैं जो आधुनिक विश्व में भारत के शिक्षण विकास के हित में मजबूत कदम साबित हो रहे हैं। वैश्विकरण की इन आर्थिक, राजनीतिक व संरचनात्मक परिवर्तन से जनमानस की चिंतन शैली स्वभाविक रूप से प्रभावित हुई। बदलती हुई बौद्धिक व भौतिक परिस्थितियों में मानव विकास एवं कल्याण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जिसके फलस्वरूप समाज में जनमानस के बीच परम्परावाद व आधुनिकवाद नाम की दो विचार धारायें बनने लगी। कुछ लोगों ने परम्परावाद तथा कुछ ने आधुनिकतावाद की वकालत की। आधुनिकता की इसी होड़ में विभिन्न क्षेत्रों में मानव कल्याण व विकास की सम्भावनाओं को तलाशने का प्रयास किया। समाज ने आधुनिक मूल्यों को स्वीकार कर आत्मसात करना शुरू कर दिया। इस प्रकार आधुनिकरण की शुरूआत के साथ शिक्षा में भी परिवर्तन हुआ और विश्व व्यापी दृष्टिकोण में निहित मानवतावाद, व्यक्तिवाद, विज्ञानवाद, समतावाद, कल्याणकारी राज्य, प्रजातंत्र, स्वतंत्रावाद, मानव विकास, उद्योगवाद, नियोजनवाद इत्यादि आधुनिक मूल्यों, मनोवृतित्यां तथा धारणाओं ने मानव जीवन शैली को प्रभावित किया। परम्परागत कृषि प्रधान तथा पूर्व आधुनिक समाज की ओर कदम बढाने लगे। बदलते समाज की इन परिस्थितियों में शिक्षा के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता महसूस की गयी, फलस्वरूप शिक्षा के आधुनिकीकरण को बल मिला जिससे आधुनिक शिक्षा की धारणा का सूत्रपात हुआ।

आज आधुनिक शिक्षा को मानव विकास व कल्याण के स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। आधुनिक शिक्षा मानवीय, बौद्धिक व सामाजिक पूंजी के विकास के एक सशक्त साधन के रूप में कार्य कर रही है। आधुनिक शिक्षा वैज्ञानिक व तकनीकी ढंग से प्रशिक्षित श्रम-शक्ति का उत्पादन करके आर्थिक विकास के

एक अनिवार्य कारक के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में यह जागरूकता नागरिकों के विकास की एक प्रमुख विचारधारा होने के अलावा प्रजातांत्रिक समाजवादी व धर्मनिर्पेक्षवादी मूल्यों की एक मजबूत आधार बन चुकी है, आधुनिक शिक्षा व्यक्तियों की मनोवृत्तियों व मूल्यों में परिवर्तन क्षमता समाये हुये हैं। आधुनिक कर्मचारी तंत्र की स्थापना के साथ साहित्य, कला व दर्शन की प्रगृति में आधुनिक शिक्षा का विशेष योगदान रहा है।

भारतीय आधुनिक शिक्षा का स्वरूप- संविधान 86वां संशोधन अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंतः सत्यापिक अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीआई) अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, उसका अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिये प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

**उच्च शिक्षा प्रणाली-** भारत में सार्वजनिक रूप से वित पोषित उच्च शिक्षा प्रणाली है जो दुनिया में तीसरी सबसे बडी है, तृतीयक स्तर पर मुख्यशाची निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो अपने मानकों को लागू करता है, सरकार को सलाह देता है और केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय में मदद करता है। उच्च शिक्षा के लिये मान्यता की देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्थापित 15 स्वायत्त संस्थानों द्वारा की जाती है, भारत में उच्च शिक्षा के संस्थागत ढांचे में विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत तीन प्रकार के विश्वविद्यालय हैं- पारम्परिक विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय।

**भारतीय शैक्षिणक प्रशासन व्यवस्था प्रणाली-** किसी भी देश का शैक्षिक प्रशासन बहुधा उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सुनिर्देशित प्रायोजनों को संबद्ध होता है। ब्रिटिश शासनाकाल में भारत की शैक्षिक नीति एवं प्रशासन विदेशी सत्ता द्वारा संचालित होने के कारण राष्ट्रीय परम्पराओं संस्कृति तथा देशवासियों की आवश्यकता के अनुकूल न था। नवीन प्रजातंत्र में शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य शिक्षा को मानवीय रूप देना एवं जनता को प्रजातांत्रिक विधियों एवं स्थितियों में प्रशिक्षित करना है। नये शिक्षकों तथा निरीक्षण अधिकारियों को ऐसी विशिष्ट दृष्टि से सम्पन्न करना है, जिससे कि सत्ता की धाक जमाये बिना ही शिक्षार्थियों

को प्रेरित कर सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल शैक्षिक प्रशासन के सुधार की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका।

वर्तमान काल में राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था राज्य के शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में की जाती है, जिसके अधीन अनेक उपनिदेशक एवं सहायक होते हैं। राज्य अनेक मंडलों अथवा अंचलों में विभक्त होता है, प्रत्येक मंडल के अंतर्गत अनेक जिले होते हैं। प्रत्येक मंडल एक निरीक्षक के अधीन तथा हर जिला स्कूल निरीक्षक के अधीन होता है। इससे निम्न स्तर पर नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। पंचायती राज्यों के प्रादुर्भाव तथा प्रजातांत्रिक एकीकरण के कारण इन निकायों का विशेष महत्व है।

विविध स्तरों पर शिक्षण संस्थानों के नियंत्रण तथा शासन में प्रवृत स्वैच्छिक अभिकरण भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। सरकारी प्रशासन इन अभिकरणों को मान्यता प्रदान कर अथवा वित्तीय सहायता देकर इन पर नियंत्रण रखता है। केन्द्रीय शिक्षामंत्री राज्यों के शैक्षिक प्रशासन पर परोक्ष रूप से नियंत्रण रखता है वह समन्वय स्थापना तथा स्तरों में सुधार के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित निर्देश नहीं देता किंतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा अन्य समानांतर निकायों के अध्यक्ष के नाते वह इन निकायों के राज्य प्रतिनिधि शिक्षा मंत्रियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकरूपता की स्थापना के लिये आवश्यक प्रभावित करता है। हाल ही में सरकार ने राज्यों से परामर्श पर अधिक भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके फलस्वरूप केंद्र तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं के क्षेत्र में प्रशासनीय अधिकार तत्संबंधी उच्चतम निकाय में निहित रहते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति अब कार्यकारी शक्ति के आदेश पर नहीं की जाती वरन सरकार तथा विश्वविद्यालय को स्वीकार्य प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन संस्थाओं की वित्त व्यवस्था के लिये उत्तरदायी हैं और इन पर परोक्ष रीति में प्रशासकीय नियंत्रण रखता है। सरकार द्वारा प्रतिपादित नई शिक्षा नीति का स्वरूप- नीति बहु-विषयक शिक्षा, अनुसंधान, व्यवसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को पहचानती हैं। नीति का उद्देश्य भारत को अनुसंधान और विकास के लिये एक केन्द्र बनाना है। दुनियाभर से प्रतिभाओं को आकर्षित करना और बदलते नौकरी बाजार के लिये छात्रों को तैयार करना है। स्थानीय मास्टर्स या उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का अध्ययन करने के लिये सभी उम्र के लोगों के लिये छात्रवृत्ति स्थापित की जायेगी। एनईपी 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और चैतिस साल पुरानी, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेती है। यह

जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा पेशकश एक व्यापक शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 का मूल, भारत का विकास में शिक्षा का योगदान रखना है। घर-घर शिक्षा पहुंचाना, विविधता, समानता और समावेश को बढ़ावा देकर 21वीं सदी के लिये छात्रों को तैयार करके भारत में शिक्षा प्रणाली विकसित करना है।

एनपीई 2020 ने 5+3+3+4 शिक्षा संरचना पेश की है जहां शिक्षा के पहले पाचं वर्ष मूलभूत हैं, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पर जोर देना, विश्वविद्यालय प्रवेश के लिये सामान्य प्रवेश परीक्षा शुरू करना और जोर देना और सीखने के परिणामों को बढाने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। 2022 तक लगभग 1070 यूनिवसिटी भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में कार्य कर रही हैं जिनमें काॅलेज के पाठ्यक्रम में नयी शिक्षा नीति लागू कर देश के हर हिस्से में आधुनिक शिक्षा द्वारा बच्चों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का विकास व उपयोग हेतु सरकार प्रतिवर्ष छात्र-छात्राओं को टेबलेट व मोबाईल वितरण जैसी योजनायें चला रही है। प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र में छात्रवृत्ति से हर वर्ग के छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। ख्ेालकूद में बढावा देने के लिये खिलाडियों के लिये सहायता व योजनायें चलाई जा रही हैं। इस प्रकार निजी संस्थाओं में बहुत सी आर्थिक मदद बच्चों को देने का कार्य जारी है।

**शिक्षा एवं शिक्षकों की गुणवत्ता पर विचार-** वर्तमान भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर बेहतर बनाने के लिये नयी शिक्षा नीति को प्रमुखता दी गयी है। शिक्षा में गुणवत्ता के प्रश्न पर काफी चर्चा, परिचर्चा होती रहीं है परन्तु अब तक इसके समाधान के लिये ठोस कदम नहीं उठाये गये थे। लेकिन इस शिक्षा नीति में सुधार करते हुए न केवल 360 डिग्री मूल्यांकन, बल्कि शिक्षकों के ज्ञान और योग्यता की परख व उसमें सुधार जैसे बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चिर प्रतिक्षित सुधारों में शिक्षकों के व्यवसायिक विकास व शैक्षणिक प्रणाली में नवाचार और चिंतन के नये आयामों व विचार वैविध्य को प्रोत्साहित करने तथा भारतीयता से जुड़े रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साथ ही आरम्भिक साक्षरता से लेकर व्यवसायिक शिक्षा तक के नियमन संबंधी पहलुआंे पर भी नीति निर्माताओं की स्पष्ट दृष्टि रही है। उच्चतर शिक्षा खामियों को दूर करने के उद्देश्य से नियामक प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन किये गये हैं। अतः नियमन में एकीकरण व केन्द्रीयकरण के सिद्धान्तों को अपनाया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिये हमारी सरकार लम्बे समय से प्रयासरत रही हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान में धरातर पर इसके सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं और

गुणवत्ता के सुधार हेतु बजट आवंटन जीडीपी के औसत 3 प्रतिशत से बढाकर वर्ष 2020-21 में 4.6 प्रतिशत तक किया है जो एक सराहनीय कदम है लेकिन फिर भी हम विश्व के अन्य राष्ट्रों से काफी पीछे है, जहां जीडीपी का औसत 6 प्रतिशत से अधिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है।

शिक्षा का प्रमुख आधार शिक्षक ही होता है। शिक्षक न केवल विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माता, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी होता है। किसी राष्ट्र का मूर्तरूप उसके नागरिकों में ही निहित होता है। किसी राष्ट्र के विकास में उसके भावी नागरिकों को गढ़ने वाले शिक्षकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। अनादि काल हो या वर्तमान काल शिक्षक की गुणवत्ता का गुणगान उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण ही होता है। आदिकाल से गुरूओं के बल पर ही किसी भी राष्ट्र को जागरूक बनाया जाता रहा है। आज भी शिक्षक उसी निष्ठा से विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपना सम्पूर्ण प्रयास करते हैं। छात्रों को पढ़ाई के अलावा उन्हें सामाजिक जीवन से संबंधित दायित्वों का बोध कराना तथा उन्हें समाज निर्माण के योग्य बनाना भी शिक्षक का दायित्व है।

**डॉ ईश्वरदयाल गुप्त के अनुसार-** 'शिक्षा प्रणाली कोई भी या कैसी भी हो, उसकी प्रभावशीलता और सफलता उस प्रणाली के शिक्षकों के कार्य पर निर्भर करती हैं। क्योंकि भावी पीढ़ी को शिक्षित करना समाज की आकांक्षाओं का प्रतिफलन करना है।'

**आधुनिक शिक्षा की उपयोगिता एवं लाभ-** शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिये एक बहुत ही आवश्यक साधन है। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। आधुनिक शिक्षा में छात्रों को बहुत तेजी से सीखने में सक्षम बनाने के लिये बहुत से उपयोगी माध्यमों का निर्माण किया गया है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी शिक्षक, टेक्नोलोजी, खेल और साईंस जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गयी है। आधुनिक शिक्षा में छात्रों को उच्च गुणवत्ता के साथ साथ शारीरिक गतिविधियों में भी विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि शिक्षा के साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी बहुत महत्व है, जिसके लिये स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बहुत से खेलों का प्रशिक्षण और राष्ट्रीय व अत्र्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलों को आयोजन किया जाने लगा।

शिक्षा के साथ ही अब विद्यार्थीयों को 'को-करिकुलर' एक्टिवीटि भी करायी जाती है जिसमें एथलेटिक्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइब्रेरी से जुड़ी एक्टिवीटिज़, लैब एक्टीविटिज़, क्लासरूम एक्टिविटी, रचनात्मक कला, मैड़िटेशन, नाटक और पेंटिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इससे छात्रों को शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों

की भी शिक्षा मिलती है जो उन्हें अपने भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। आधुनिक शिक्षा में स्क्रीनिंग कक्षायें और व्याख्यान शामिल हैं जो विशिष्ट समय पर निर्धारित होती है इसमें छात्रों को समयनिष्ठ और सुसंगत बनाने में मदद मिलती है। साथ ही अब शिक्षा के लिये कुछ वर्षों में आॅनलाईन क्लास को भी उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे कोई भी विद्यार्थी आॅनलाईन मोड़ से भी शिक्षा पूरी कर सकता है। 21वीं सदी में भारत की आधुनिक युग की शिक्षा प्रणाली आॅनलाईन शिक्षा से लेकर स्किल डवलपमेंट कोर्सेज, डिजील लर्निंग प्लेटफार्म, ग्रेडिंग सिस्टम के साथ साथ कक्षाओं में एजुकेशन टेक्नोलोजी के उपयोग और एक नई एजूकेशन पाॅलिसी के शुरूआत के साथ शिक्षा के लिये नयी-नयी योजनाओं का गठन किया गया है। भारत सरकार ने गत तीन दशकों से लंबित शिक्षा नीति को अंतिम रूप दे दिया है। वस्तुतः मोदी जी के प्रधान मंत्रित्व काल में राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं उनमें यह नई शिक्षा नीति अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य आगामी वर्षों में देश के युवाओं को सबसे सही दिशा प्रदान करने वाला एवं नई वैश्विक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा। वस्तुतः राष्ट्र निर्माण की दिशा में यह एक क्रान्तिकारी कदम है।

**नई शिक्षा को आधुनिकरण के साथ जोड़ने का उद्देश्य-** नई शिक्षा नीति आधुनिक भारतीय समाज के विकास में ठोस ढांचा बनकर तैयार हुई है यह आने वाले वर्षों में हमारे सम्मुख आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। यह शिक्षा नीति राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। नये ज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी व नवोन्मेषी तकनीकी के साथ साथ नई शिक्षा नीति के निर्माण में हमारे प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और दर्शन को सहेजने का प्रयास किया गया है। सभी पहुलुओं पर गहन अध्ययन एवं शोध को भी महत्व किया गया है। इसलिये चिंतन धरातल पर भी नई शिक्षा नीति सर्वथा उद्देश्यपूर्ण है। राष्ट्रनिर्माण में प्रमुख वर्तमान सरकार की नीति "सबका साथ सबका विकास" के मूल सिद्धान्त को भी नई शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः वंचित व उपेक्षित समाज के बच्चों का शैक्षणिक विकास किया जाना इसमें प्रमुख बिन्दु है। इस आधुनिक शिक्षा तंत्र का मूल उद्देश्य समाज में सभ्य इंसानों को विकसित करना है। जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिनमें करूणा और सहानुभूति हो, साहस और लचीलापन हो, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पाद लोगों को तैयार करना है जो अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।

प्रस्तुत वर्तमान शिक्षा में प्राचीन और नवीनता का संतुलन बनाया गया है। अपने जड़ों से जुड़े रहकर ज्ञान के शिखर पर पहुंचने का यह प्रभावी मंत्र है जो विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराने का दम रखेगा। लोगों को अपना जीवन जीने में और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये शिक्षा की काफी जरूरत है। शिक्षा जीवन को बेहतर बनाने वाली संभावनाओं तक पहुंचाती है। वर्तमान में जिस व्यक्तित्व के निर्माण मंे सरकार का प्रयास जारी है वह व्यवहारिक ज्ञान में निपुण हो यह भी प्राथमिकता है।

**आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य-** किसी भी कार्य एवं नीति के पीछे सरकार के उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं जिस प्रकार उद्देश्यों से तात्पर्य है कि इन प्रयासों से समाज को विकसित करना है उसी प्रकार उन उद्देश्यों की पूर्ति कर कार्यों की लक्ष्य प्राप्ति के रूप में अंतिम परिणाम होती है। आधुनिक समाज में खासकर युवाओं को शैक्षिक स्तर पर सरकारी लाभ देने व सुविधायें उपलब्ध कराने का उद्देश्य यही है कि वह इस नवीन राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लक्ष्यों के रूप में सरकार की उन्नत समाज के लिये महत्वकांक्षाओं को निम्न बिन्दुओं में परिचित करने का प्रयास है।

1- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जो अशांति फैली हुई है उसमें शांति के विकास मंे शिक्षा का महत्व सर्वोच्च है। शिक्षा से विवेक पैदा होता है विवेकशीलता शान्ति को जन्म देती है। शांति होगी तो विकास होगा। प्रत्येक क्षेत्र में मानवता व्याप्त होगी और मनुष्य सुखी होगा। भेदभाव व हिंसक प्रतिद्वन्दिता से मुक्ति मिलेगी।

2- कार्यकुशलता के स्तर पर नागरिकों का अपेक्षित अभाव ही है क्योकि कुशलता है तो उसे साबित करने के आयामों की कमी है। आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्तर पर गुणवत्ता में कमी को दूर करके प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय नागरिक को वैश्विक स्तर पर उठाना।

3- वैश्विक प्रतिस्पद्र्धा में बने रहने के लिये आधुनिक शिक्षा ने खिलाडियों, साइंटिस्टों एवं अन्य क्षेत्रों में युवाओं के लिये नये आयाम तैयार किये हैं जिसका लक्ष्य भारत का परचम राष्ट्रीय व अन्त्रराष्ट्रीय स्तर पर लहराना है।

4- भारतीय संस्कृति अपने मूलरूप में सदैव 'वसुधैव कुटुम्बकम'् को जीवन का प्रमुख तत्व मानती है। ऋषियों व महार्षियों के महानतम प्रयास से उद्त मानव कल्याण की भावना से आप्लावित होकर 'सर्वजन हिताय सर्वजन' सुखाय के माध्यम से व्यवहारिक स्तर पर भारतीय संस्कृति केवल मानव कल्याण ही नहीं अपितु विश्व के समस्त प्राणियों, वनस्पतियों, वनों आदि का पोषण और हित को पूर्व करने का लक्ष्य रखती है

भारतीय संस्कृति को जीवन शैली के रूप में आत्मसात् करना शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में माना जाना ही सर्वश्रेष्ठ है।

5- वैश्विक व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की क्षमता का विकास भी आधुनिक भारतीय शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण है, कटीर उद्योग और लघु उद्योगों को वैश्विकरण के संदर्भ में व्यवसाय व व्यापार की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का क्षमता का समग्र विकास करना लक्ष्य की मांग है। इस मांग की पूर्ति इस प्रकार की क्षमता के विकास द्वारा ही संभव है। प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठतम स्तर पर सफल होना भी आवश्यक है।

**निष्कर्ष-** भारत की प्राचीन संस्कृति और शिक्षा प्रणाली अत्यंत गौरवपूर्ण रही है। यहां समय समय पर अनेक ऋषि मुनि, संत विचारक और दाशर््निक हुये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में हमने आज की आधुनिक शिक्षा पर दृष्टि करते हुए इसमें विभिन्न पहुलुओं पर विचार किया है। आधुनिकरण की इस वैश्विक दौड़ में भारत को आवश्यकता थी एक नयी दिशा, नयी नीति की जिसमें शिक्षा में आधुनिकता लाना प्रथम प्रयास था। इन्हीं सब चर्चाओं पर विचार करते हुए सरकारी प्रयासों का प्रतिफल अथवा परिणाम, सरकार द्वारा प्रतिपादित नई शिक्षा नीति-2020 का आगाज हुआ। जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी क्षेत्रों में ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। साथ ही हर संभव प्रयास भारत में जन-जन तक शिक्षा फैलाना है। सरकार ने शिक्षा की देखरेख हेतु विभिन्न संस्थानों, प्रशासनिक योजनाओं और पूर्ण विकसित तंत्र की कड़ी बनायी हुई है। इसमें न सिर्फ राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों के विकास का विचार है, अपितु अन्त्तराष्ट्रीय स्तर पर उसके विकास पर ध्यान दिया गया है। भारतीय वर्तमान सरकार मोदी जी के विकास सिद्धांत सबका साथ सबका विकास में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सरकार द्वारा अनेकों अभियान व योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण के स्वप्न को पूर्ण करने में इस उपलब्धि के उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट है, और आने वाले समय में इन सभी पथों पर चलकर राष्ट्र निर्माण का उज्जवल सपना हर नागरिक के मन में होगा। जिसमें राष्ट्रीय-अन्त्तराष्ट्रीय स्तर पर भारत का शिक्षित नागरिक विकासशील से विकसित भारत की विजय लहरायेगा।

## संर्दभ ग्रंथ सूचि

1- भारतीय आधुनिक शिक्षा- राजरानी, ISSN- 0972 5636

2- राजनीतिक विचारक- पाश्चात्य एवं भारतीय, - डॉ0पुखराज जैन, डॉ0 बी एल फड़िया।

3- भारत का संविधान- डॉ0 बी आर अम्बेड़कर - बुद्धम पब्लिकेशन, जयपुर।

4- राजनीतिक विज्ञान- द्रष्टि द विज़न।

5- शैक्षिक तकनीकी के मूलाधार- डॉ0 एस पी0 कुलश्रेष्ठ, डॉ0 ए0के0 कुलश्रेष्ठ।

6&History and Development of Indian Education- SahityaBhavan.

7- समकालीन भारत तथा शिक्षा- डॉ0 राजेश वशिष्ठ, डॉ0 प्रेमलता जाशी।

8- आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास- डॉ0 रवि शंकर।

9&Wikipedia, Encyclopedia.